

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
बागेश्वर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
वित्त अनुभाग-9  
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

संख्या:- 351 /स्टाम्प-सर्किल रेट/2011 दिनांक मार्च, 30/2012

विषय:- दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी सर्किल दरों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर कृपया अपने पत्र संख्या:-351/2011/XXVII (9)/80/स्टाम्प /2009 दिनांक 24 जून, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में जनपद बागेश्वर की तहसील बागेश्वर/कपकोट/गरुड/काण्डा/उपतहसील काफलीगैर के समस्त राजस्व ग्रामों की दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी किये जाने वाले नये सर्किल दरों को निर्धारित कर, नई सर्किल दरों की प्रति आपके सादर अवलोकनार्थ एतत्सः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय

(दीपक रावत)  
जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि,- निम्नांकित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
6. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/बागेश्वर/कपकोट/गरुड/काण्डा/नायब तहसीलदार उपतहसील काफलीगैर।
7. सहायक आयुक्त स्टाम्प निबन्धन कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
8. उप निबन्धक बागेश्वर/कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे दिनांक 01.04.2012 से पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों पर संलग्न सूची में निर्धारित सर्किल दरों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपक रावत)  
जिलाधिकारी बागेश्वर।

27  
09/04/12

**आदेश**

शासनादेश संख्या 682/2011/XXVII (9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के कम में दिनांक 31.10.2011 को प्रचलित सर्किल दरों को दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ववत् रखते हुए शासनादेश संख्या 351/2011/XXVII (9)/80/स्टाम्प/2009 दिनांक 24 जून, 2011 वित्त अनुभाग-9 से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के अन्तर्गत समस्त जनपदों में द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप जनपद बागेश्वर के पूर्व निर्धारित दिनांक 01.11.2009 से प्रभावी सर्किल दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। जो महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1018/म0नि0नि0/2011-12 के कम में दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी होगी।

जनपद बागेश्वर (शहरी क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से लगे ग्रामीण क्षेत्र प्रति वर्ग मीटर।

क्र०सं०	पट्टी क्षेत्र का नाम/ग्राम का नाम	सड़क से 50 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर की दर।	सड़क से 50 मीटर से 100 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर	सड़क से 100 मी० बाद प्रति वर्ग मीटर		100 वर्ग मीटर(08 मुठ्ठी) या उससे कम रकवा क्रय करने पर प्रति वर्ग मीटर की दर
				5		
				5(अ)	5(ब)	
1	2	3	4	सिचित	असिचित	6
01	मजियाखेत	5595	1937	1585	1585	4304
02	कफलखेत	5057	775	1645	1645	4304
03	डंगरों	5595	2529	1950	1950	4304
04	सैज	5380	2206	1710	1710	4304
05	बाडीगूठ	5595	2529	2035	2035	4304
06	कत्यूर्मठ	5595	2529	2360	2360	4304
07	भतरौला	4358	1614	1330	1330	4304
08	कठायतबाडा	4358	1614	1330	1330	4304
09	बागेश्वरज्यूला, रामभद्रतेवाडी, बाडीखालसा, बलसूना, कुमाल्टा, विनवालतेवाडी, डिगरा, पडिया रवाला, थुणाई	2690	1829	1530	1530	2152
10	त्यूनरा, बडेत	4896	1453	820	780	2582
11	चौरासी	4304	1614	1525	1525	4304
12	मण्डलसेरा	2582	2367	1270	1270	2582
13	भिटालगाव	3809	1668	1565	1565	3852
14	फल्टनियां, गाडगांव, छुरमल	4196	1399	1225	900	1775
15	विलौनासेरा, गढियागाव	2152	1076	900	815	2152

नोट-- कमांक 01 से 15 में स्तम्भ 03, एवं 06 में अंकित दरों में से जो दर अधिक होगी वह दर प्रभावी होगी।



**2 तहसील बागेश्वर के ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन सूची।**

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सड़क से 50 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर	सड़क से 50 मीटर से 100 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर	सड़क से 100 मीटर बाद प्रति वर्ग मीटर की दरें।		100 वर्ग मीटर(08 मुट्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर, प्रति वर्ग मीटर की दर
				5(अ)	5(ब)	
1	2	3	4	5		6
16	भटोली, द्यांगण, बहुली, अडोली, सिमरो	755	630	570	500	1291
17	रुणीखेत चक उडलगांव मगरोंपहरी, रवाईखाल, कमेडी, बमराडी फटगली	725	605	305	230	861
18	आरे	900	525	390	315	1011
19	द्वारसों	530	440	215	180	861
20	अन्य गाँव पटवारी क्षेत्र आरे, तल्ला कत्यूर, रवाईखाल, क्वैराली, अमसरकोट	470	390	295	205	667
21	जोशीगांव, धिरौली, तुपेड वनलेख, सलीगांव	1240	1035	475	400	1240
22	मनकोट	250	625	195	155	753
23	अन्य गांव पटवारी क्षेत्र दुग, तुपेड, बिलखेत चौरा, बनलेख, खुनौली।	420	350	225	155	667
24	धिंधारतोला	420	350	225	155	667
25	मेहनरबूंगा	720	600	400	365	1646
26	अन्य गांव पटवारी क्षेत्र काण्डे, धिंधारतोला, जेटाई, गुरना।	270	225	125	115	603
27	रीमाक्वीटी, उडियार, किरोली वीसाजाजरी, पचार, किडई, होराली, दयाली, वाफिलामल्ला वाफिला तल्ला, वडयूडा, रसूनीगांव, नहोली, चक काफली, रंगदेव।	505	420	300	215	646
28	अन्य गांव पटवारी क्षेत्र उडियार, दयाली, होराली।	350	290	175	155	646
29	खांकर, भटखोला, विलौरी, सिन्दूरी, झिरोली, जनौटी पालडी, खर्कटम्टा।	365	305	190	120	839
30	अन्य गांव पटवारी क्षेत्र चौगावछीना, खांकर विलौरी।	320	265	140	120	710

31	अन्य गाव पटवारी क्षेत्र नन्दीगांव असौं बैदीबगड।	310	260	170	130	710
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

नोट-100 वर्ग मीटर (08 मुठ्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर कालम नं०-06 पर दर्ज सर्किल रेट प्रभावी होंगे।

तहसील कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले ग्रामों के भूमि के सर्किल रेटों की संशोधित दरें प्रति वर्ग मीटर दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी।


क्र०स०	पट्टी क्षेत्र का नाम/ग्राम का नाम	सडक से 50 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर की दर।	सडक से 50 मीटर से 100 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर	सडक से 100 मी० बाद प्रति वर्ग मीटर		100 वर्ग मीटर(08 मुठ्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर प्रति वर्ग मीटर की दर
				5		
				5(अ)	5(ब)	
1	2	3	4	सिंचित	असिंचित	6
01	पट्टी तल्ला दानपुर कपकोट बाजार से तहसील से आगे पानी के पम्प हाऊस, भुकुटी डोडियार तक	1050	700	450	375	1076
02	भराडी बाजार, ऐठाण, बमसेरा, हिचौडी, पालीडुंगरा, भयूं।	1050	700	325	275	1076
03	ग्राम कपकोट के शेष स्थान	450	325	275	200	613
04	भानी, बघेली, खटगेडा, असौं, भण्डारीगांव।	750	550	300	225	750
05	गोलना, रैथल, हरसीला, कन्यूटी, परमटी, चीराबगड, फरसाली वल्ली एवं पल्ली।	450	300	200	150	646
06	तल्ला दानपुर के शेष ग्राम	300	250	150	125	603
07	शामा, लीती, भनार, खडलेख, बडीपन्याली, कफलानी, वडेत, नौकोडी, ल्वेटा, गोगिना, गुण्टी मल्लबाडुर्गचा, रातिरकेटी, किसमिला, नामतीचेटाबगड।	310	250	200	140	646
08	विचलादानपुर के शेष ग्राम	300	225	150	125	603
09	मल्ला दानपुर के ग्राम सुडिंग, लोहारखेत, सलिंग, सलिंग उडियार, मुनार, चौडा, चौडारथल, बाछम, लीख, सौराग।	350	275	175	125	646
10	मल्ला दानपुर के अन्य गाँव।	275	225	150	120	603

नोट-100 वर्ग मीटर (08 मुठ्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर कालम नं०-06 पर दर्ज सर्किल रेट प्रभावी होंगे।

*(Handwritten signatures and marks)*

**तहसील गरुड मल्ला कत्यूर एवं विचला कत्यूर के सर्किल रेट प्रति वर्ग मीटर संशोधित दरें दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी।**

क्र०सं०	पट्टी क्षेत्र का नाम/ग्राम का नाम	सडक से 50 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर की दर।	सडक से 50 मीटर से 100 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर	सडक से 100 मी० बाद प्रति वर्ग मीटर		100 वर्ग मीटर(08 मुठ्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर प्रति वर्ग मीटर की दर
				5		
				5(अ)	5(ब)	
1	2	3	4	सिंचित	असिंचित	6
01	विचला कत्यूर/छानील्वेशाल विनियमित क्षेत्र ग्राम कौसानी	1438	1400	1375	1350	2066
02	विचला कत्यूर/लौबाज, कौलाग, रतमटिया, भानापडियार, डुमलोटस्टेट	1438	1400	1375	1350	2066
03	विचला कत्यूर पटवारी क्षेत्र कौसानी के अन्य 5 राजस्व ग्राम	344	338	186	118	1679
04	पट्टी विचला कत्यूर क्षेत्र दर्शानी के राजस्व ग्राम- पाये, दर्शानी, भेटाकुटोलिया, भेटागूठ, बिमौला, पचना, द्यौनाई	1291	1257	330	243	1560
05	पट्टी बिचला कत्यूर क्षेत्र दर्शानी के अन्य 08 राजस्व ग्राम	289	284	162	126	624
06	पट्टी विचला कत्यूर क्षेत्र गरुड के राजस्व ग्राम- नौघर, सेलीहाट,माल्दे, स्याल्दे, भकुनखोला, बयालीसेरा, गढसेर, कनस्यारी, सिल्ली, टानीखेत, सिटोली	1078	1050	330	243	1560
07	पट्टी विचला कत्यूर क्षेत्र गरुड के अन्य 14 राजस्व ग्राम	344	338	186	118	624
08	पट्टी बिचला कत्यूर क्षेत्र नौगाँव के राजस्वग्राम- मोतीसारी,भगरतोला, कोटतुलारी, नौगाँव	679	661	330	243	1560
09	पट्टी बिचला कत्यूर क्षेत्र- नौगाँव के अन्य 17 राजस्व ग्राम	344	338	186	118	624



10	पट्टी बिचला कत्यूर क्षेत्र पाटली के राजस्व ग्राम-लोहारी तल्ली, धेनासिलगवाडी, दुदिला भंगसौडा, कटारमल, मथरों, पाटली	679	661	330	243	1560
11	पट्टी बिचला कत्यूर-क्षेत्र पाटली के अन्य 11 राजस्व ग्राम	302	294	165	130	624
12	पट्टी मल्ला कत्यूर-क्षेत्र डंगोली के राजस्व ग्राम- फुल्वाडीगूठ (बैजनाथ),थानडंगोली,मेलाडुगरी, ऐचर, ग्वाडपजेडा, तैलीहाट, कोटफुल्वाडी, अमस्यारी, छटिया, हरिनगरी	639	588	330	238	1560
13	पट्टी मल्ला कत्यूर- क्षेत्र डंगोली के अन्य 11 राजस्व ग्राम	223	217	165	130	624
14	पट्टी मल्ला कत्यूर- क्षेत्र गागरीगोल के राजस्व ग्राम- मन्थूडा, पुरडा, जैसर, दुकरा, चनोली	639	588	330	238	1560
15	पट्टी मल्ला कत्यूर-क्षेत्र गागरीगोल के अन्य 10 राजस्व ग्राम-	223	217	165	129	624
16	पट्टी मल्ला कत्यूर-क्षेत्र गलई के राजस्व ग्राम- रैतोली, परकोटी गलई, सिरकोट, हवीलकुलवान, कुलार्ज,	316	308	176	135	1560
17	पट्टी मल्ला कत्यूर क्षेत्र गलई के अन्य 10 राजस्व ग्राम	223	217	165	130	624
18	पट्टी मल्ला कत्यूर क्षेत्र पिगलो के राजस्व ग्राम पिगलो, मचकोट, मैगडीस्टेट	223	217	165	130	1560








19	पट्टी मल्ला कत्यूर-क्षेत्र पिगलो के अन्य 16 राजस्व ग्राम	223	217	165	130	624
20	पट्टी मल्ला कत्यूर क्षेत्र वज्यूला के राजस्व ग्राम वज्यूला(भोलाथल), बिनखोली, चौरसों, पश्चिमी अयारतोली	639	588	330	238	1560
21	पट्टी मल्ला कत्यूर क्षेत्र वज्यूला के अन्य 12 राजस्व ग्राम	223	217	165	130	624
22	पट्टी मल्ला कत्यूर क्षेत्र जखेडा के समस्त 13 राजस्व ग्राम	223	217	165	130	624

नोट-100 वर्ग मीटर (08 मुट्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर कालम नं0-06 पर दर्ज सर्किल रेट प्रभावी होंगे।

तहसील काण्डा क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले ग्रामों के भूमि के सर्किल रेटों की सूची प्रति वर्ग मीटर।

क्र0सं0	पट्टी क्षेत्र का नाम/ग्राम का नाम	सडक से 50 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर की दर।	सडक से 50 मीटर से 100 मीटर तक प्रति वर्ग मीटर	सडक से 100 मी0 बाद प्रति वर्ग मीटर		100 वर्ग मीटर(08 मुट्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर प्रति वर्ग मीटर की दर
				5		
				5(अ)	5(ब)	
1	2	3	4	सिंचित	असिंचित	6
01	पट्टी वल्ला कमस्यार -ग्राम धपोली, काण्डा स्टेशन (पंगचौडा चकजामणी) चक पोखरी, पडाव, काण्डे कन्याल, चक बखतिया।	575	560	360	330	861
02	पट्टी वल्ला कमस्यार के अन्य गाँव	250	225	120	110	484
03	पट्टी पल्ला कमस्यार-विगुल चैक	315	300	150	140	646
04	देवतोली	315	300	160	140	646
05	पट्टी पल्ला कमस्यार के अन्य समस्त गाँव	250	225	120	110	484



06	पट्टी नाकुरी- सिमगडी, धरमधर, स्याकोट, जलमानी, भूलगाँव, पातल, महरुडी, उत्तर दुग	470	405	290	230	753
07	सेरी, भन्तोल, बडुवागाँव, मजगाँव, चौनाला, सिंलगाँव (वर्तमान मोटर मार्ग से सम्बद्ध)	470	405	175	145	753
08	पट्टी नाकुरी के अन्य समस्त गाँव	325	300	175	145	538
09	पट्टी दुग- विजयपुर	325	315	150	125	646
10	पट्टी दुग के अन्य गाँव	220	190	175	145	484

नोट-100 वर्ग मीटर (08 मुठ्ठी) या उससे कम रकवा कय करने पर कालम नं०-06 पर दर्ज सर्किल रेट प्रभावी होंगे।

(अ) बागेश्वर नगर पंचायत/विनियमित क्षेत्र में गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण का मूल्य।  
(प्रति वर्ग मी०)

- 1- पक्का निर्माण रु० 5500.00
- 2- कच्चा निर्माण रु० 4000.00
- 3- टिन सेट रु० 2000.00

(ब) अर्धनगरीय क्षेत्रों में गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण का मूल्य  
(गरुड, बैजनाथ, गागरीगोल, काण्डा, कपकोट)


- 1- पक्का निर्माण रु० 4700.00
- 2- कच्चा निर्माण रु० 3200.00
- 3- टिन सेट रु० 1800.00

(स) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर वाणिज्यिक भवनों का निर्माण का मूल्य।  
(प्रति वर्ग मी०)

- 1- पक्का निर्माण रु० 3500.00
- 2- कच्चा निर्माण रु० 1700.00
- 3- टिन सेट रु० 1200.00

(द) वाणिज्यिक भवनों के आच्छादित क्षेत्रफल का किराया (केवल स्टाम्प शुल्क निर्धारण हेतु)।  
(प्रति वर्ग मी०)

- 1- नगरीय क्षेत्र रु० 75.00
- 2- अर्धनगरीय क्षेत्र रु० 60.00





3- ग्रामीण क्षेत्र रु0 40.00

काठगोदाम/टनकपुर रेलवे हेड को आधार मानते हुए आवासीय भवन के लिए स्थल का मानक नजदीकी मार्ग से तथा ऊँचाई के आधार पर निम्न प्रकार इंडेक्स जोड़ा जाए।

दुरी के लिए इन्डैक्स।

1- पक्के मोटर मार्ग पर 10 किमी या उसके अंश 05 किमी0 से अधिक के लिए 1.5 प्रतिशत।

2- कच्चे मोटर मार्ग पर 10 किमी या उसके अंश 2.5 किमी0 से अधिक के लिए 1.0 प्रतिशत।

3- अश्व मार्ग पर प्रति किमी0 व उसके अंश 0.5 किमी0 से अधिक पर 3.0 प्रतिशत।

4- ऐसी पंगडंडिया जिन पर घोडा या खच्चर नही चल पाते उनके लिए प्रति किमी0 या उसके अंश 0.5 किमी0 से अधिक पर 4.0 प्रतिशत

(ख) ऊँचाई के लिए इन्डैक्स।

अ- 1000 मीअर तक ऊँचाई के लिए इन्डैक्स देय नही होगा।

ब- 1001 मीटर से 2100 मीटर तक की ऊँचाई के लिए देय 1 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।

स- 2101 मीटर से 2400 मीटर तक 11+3 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।

द- 2401 से 2900 मीटर तक 20+5 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।

य- 2900 मीटर से अधिक 45+10 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।

(ग) पक्के भवन की आयु 100 वर्ष मानते हुए मूल्य ह्रास पर आवासीय भवनों की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है-


1- 10 वर्ष से 15 वर्ष तक भवनों की मालियत -0.8600 ग वर्तमान दर।


2- 15 वर्ष से 25 वर्ष तक भवनों की मालियत -0.7778ग वर्तमान दर।

3- 25 वर्ष से 50 वर्ष तक भवनों की मालियत-0.6050 ग वर्तमान दर।


4- 50 वर्ष से 75 वर्ष तक भवनों की मालियत -0.4705 ग वर्तमान दर।


5- 75 वर्ष से 100 वर्ष तक भवनों की मालियत -0.3660ग वर्तमान दर।

  
उपनिबन्धक/तहसीलदार,  
बागेश्वर।

  
उपनिबन्धक/तहसीलदार  
कपकोट।


  
तहसीलदार,  
गरुड।

  
तहसीलदार  
काण्डा।

  
अपर जिलाधिकारी/जिला निबन्धक,  
बागेश्वर।

दिनांक / /2012

अनुमोदित।

  
जिलाधिकारी,  
बागेश्वर।